कक्षा गतिविधि - संविधान के प्रावधान

थीम/विषय - संकल्पित भारत
सब थीम/उप विषय - संविधान के प्रावधान
कक्षा - ११वीं के लिए

परिचय

भारतीय संविधान के अनुच्छेद क्रमांक 12-35 मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं। भारत के नागरिकों को ये मानवाधिकार प्रदान किए गए हैं और संविधान में बताया गया है कि ये अधिकार अनुल्लंघनीय हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार आदि कुछ ऐसे अधिकार हैं जो छह मुख्य मौलिक अधिकारों में से एक के अंतर्गत आते हैं। इस गतिविधि में, हम मुख्य रूप से समानता के अधिकार पर ध्यान देंगे और विद्यार्थियों को हमारे संविधान में इस अधिकार के महत्व को समझने में मदद करेंगे। भारत के संविधान ने अपने सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान किया है।

कानून की नजर में हर कोई समान है और यहां धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता है।

अपेक्षित परिणाम

1. विद्यार्थी भारतीय संविधान में वर्णित समानता के अधिकार के बारे में रोचक ढंग से जानेंगे।
2. विद्यार्थी सह-भागिता द्वारा भेदभाव के बारे में जानेंगे और यह भी जानेंगे कि समानता बनाए रखने में संविधान कैसे मदद करता है।

अपेक्षित क्षमताएं - बौद्धिक क्षमता, रचनात्मक क्षमता, सहयोग कौशल

सत्र का अवलोकन

क्र.	सत्र विवरण	अनुमानित समय
1.	परिचय तथा सेटिंग्स संदर्भ • परिचय • नाट्य/ रोल प्ले के लिए समूह बनाना।	30 मिनट
2.	रोल प्ले • विषय_परिचय • रोल प्ले • पूछताछ	60 मिनट

गतिविधि के चरण

गतिविधि के दिन

चरण 1: परिचय और भूमिका बनाना

आवश्यक समय : 30 मिनट

परिचय

शिक्षक छात्रों को बता सकते हैं कि- अधिकारों का शाब्दिक अर्थ उन स्वतंत्रताओं से है जो व्यक्तिगत भलाई के साथ-साथ समुदाय की भलाई के लिए आवश्यक हैं। भारत के संविधान के तहत प्रत्याभूत अधिकार मौलिक हैं क्योंकि उन्हें देश के मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है और जिन्हें अदालत की मदद से लागू किया जाता है। आज के सत्र में हम ऐसे ही एक मौलिक अधिकार यानी समानता के अधिकार के बारे में जानने वाले हैं।।

समानता का अधिकार कानून के समक्ष सभी के लिए समान व्यवहार का प्रावधान है, यह विभिन्न आधारों पर भेदभाव को रोकता है, और सभी को समान मानता है। इसमें कहा गया है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।

हम विभिन्न मुद्दों से संबंधित रोल प्ले देखेंगे और प्रदर्शन करेंगे जिन्हें समानता के अधिकार का उपयोग करके निपटा जा सकता है, इस प्रकार इस गतिविधि के माध्यम से हमारे संविधान के इस विशेष अधिकार को न्यायोचित ठहराया जा सकता है।

परिचय के बाद कृपया दिए गए चरणों का पालन करें।

- विद्यार्थियों को उनके सदन के अनुसार समूहों में विभाजित करें।
- विषयों को प्रदर्शित करें:
  अस्पृश्यता, लिंग भेदभाव, धर्म आधारित भेदभाव, जाति आधारित आरक्षण।
- उन्हें एक विषय चुनने दें।
- समूह से संबंधित कार्ड (प्रिंट अनुभाग देखें) और रोलप्ले स्क्रिप्ट लिखने के लिए 30 मिनट का समय दें और समूह के प्रत्येक सदस्य के लिए भूमिकाएं निर्धारित करें। उन्हें बताएं कि प्रत्येक रोल प्ले 5-7 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए।
- प्रत्येक समूह को प्रदर्शित करने का क्रम आवंटित करे।
- उन्हें उनके संवादों और भूमिकाओं के साथ तैयार होने का समय दें।
- 30 मिनट के सत्र के बाद, आवंटित नंबरिंग के अनुसार रोल प्ले को प्रारंभ करें।

चरण 2: रोल प्ले

(प्रिंट करने के लिए प्रिंट अनुभाग देखें)

आवश्यक समय: 60 मिनट

नियमों की व्याख्या करें-

- प्रत्येक समूह द्वारा एक-एक करके रोल प्ले प्रस्तुत किया जाएगा।
- प्रत्येक समूह को अपना रोल प्ले प्रस्तुत करने के लिए 5-7 मिनट का समय दिया जाएगा।
- प्रत्येक रोल प्ले के बाद, अन्य विद्यार्थियों से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए चौकन्ने रहें और अपने प्रश्नों के साथ तैयार रहें।
- सभी समूहों को एक-एक करके अपनी भूमिका निभाने के लिए आमंत्रित करें।
- अन्य विद्यार्थियों को प्रस्तुतकर्ताओं से प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित करें।

- यदि विद्यार्थी कोई प्रश्न नहीं पूछते हैं, तो शिक्षक कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं जैसे-

1. आपने रोल प्ले में क्या देखा?
2. क्या आपको लगता है कि यह सही है? हाँ/नहीं और क्यों?
3. क्या आप अपने आस-पास (घर, स्कूल, समुदाय) में कोई भेदभाव देखते हैं? हाँ/नहीं और यदि हाँ, तो वह किस प्रकार का भेदभाव है?
4. इस तरह के भेदभाव का सामना करने पर व्यक्ति या समूह कैसा महसूस कर सकता है?

चरण -3 पूछताछ के लिए प्रश्न

- क्या आपको लगता है कि भारतीय संविधान समाज में भेदभाव को रोकने के लिए उपयोगी है? हाँ/नहीं और कैसे?

- संविधान में अन्य कौन से अधिकार हैं?

- यदि हम अपने समाज या देश में इस तरह के भेदभाव की प्रथाओं को देखते हैं तो नागरिकों के रूप में हमें इसके लिए क्या करना चाहिए?

- क्या आपको लगता है कि सरकार ऐसे मुद्दों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कुछ कर रही है?

- क्या आप कोई नया अधिकार सुझाना चाहते हैं जिसे संविधान में जोड़ा जा सके?

संदर्भ कड़ियाँ: Fundamental rights in India - Wikipedia

प्रिंट अनुभाग

विषय -1

छुआछूत
एक समय की बात है, एक गाँव था जहाँ उच्च जाति और निम्न जाति के लोगों के लिए निवास, कार्य वितरण, बाजार और पूजा स्थल की अलग व्यवस्था थी। ऊंची जाति के किसान निचली जाति के लोगों के साथ भेदभाव करते थे। वे उन्हें किसी को छूने नहीं देते थे, अपने क्षेत्र में प्रवेश करने या अपने बाजार से सामान खरीदने की अनुमति नहीं देते थे, साथ ही निचली जाति के बच्चों को उन स्कूलों में पढ़ने की अनुमति नहीं थी जहाँ उनके बच्चे पढ़ते थे। एक दिन ऊंची जाति का एक किसान चिलचिलाती धूप में अपने खेत को जोत रहा था, हल चलाते-चलाते वह जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि गर्मी असहनीय थी उसके मुंह से झाग निकल रहा था। एक राहगीर जो निचली जाति से था और समुदाय में उसे अछूत माना जाता था, उसे किसान को बचाता है। किसान अच्छा महसूस करता है लेकिन फिर भी वह अपना पैर उठाता है और उस आदमी को लात मारता है जिसने उसे पानी पिलाया था।

विषय-2

लैंगिक भेदभाव
एक बार एक अंतरराष्ट्रीय स्कूल में स्कूल की क्रिकेट टीम के लिए चयन हो रहा था। उसी स्कूल की कुछ लड़कियों ने कोच के पास जाकर दिलचस्पी दिखाई कि वे भी अपने स्कूल के लिए क्रिकेट खेलना चाहेंगी और उन्हें लड़कों के साथ खेलने और क्रिकेट सीखने का मौका मिलना चाहिए। क्रिकेट कोच और लड़कों ने उन पर हंसते हुए कहा कि यह खेल तुम लड़कियों के लिए नहीं है, तुम्हें इंडोर गेम खेलना चाहिए और अपने समूह में अभ्यास करना चाहिए। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं पूरे जिले के लिए गर्व का क्षण होती हैं और लड़कियां अपने जिले के लिए कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकती हैं।

विषय-3

धर्म आधारित भेदभाव
मॉडर्न पब्लिक स्कूल में विद्यार्थियों का एक समूह पढ़ रहा था। अधिकांश विद्यार्थी एक ही धर्म के थे क्योंकि आसपास के समुदाय के अधिकांश निवासी एक ही धर्म के थे। मोहल्ले के पास एक इमारत का निर्माण शुरू हुआ और दूसरे धर्म के कुछ प्रवासी मजदूरों को वहां स्थानांतरित कर दिया गया। निर्माण स्थल के बिल्डर ने अपने मजदूर के 2 बच्चों को प्रवेश देने के लिए स्कूल से संपर्क किया। ये दोनों बच्चे अलग धर्म के थे। इन दोनों बच्चों के सहपाठियों ने यह बात उनके माता-पिता को बताई और उनके माता-पिता ने स्कूल जाकर इन बच्चों के दाखिले के खिलाफ शिकायत की. उन्होंने स्कूल से अनुरोध किया कि वह इन बच्चों को अपने बच्चों के साथ बैठने, खेलने और भोजन करने की अनुमति न दें। माता-पिता के इन शक्तिशाली समूह के दबाव में स्कूल ने इन बच्चों के साथ स्कूल में भेदभाव करना शुरू कर दिया।

विषय-4

जाति आधारित आरक्षण
एक नए अस्पताल ने डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की भर्ती शुरू की। उन्होंने रिक्तियों को प्रकाशित किया। उन्होंने एक विशेष जाति के लिए कोटा के साथ रिक्तियों को परिचालित किया और उल्लेख किया कि यदि उन्हें उस जाति विशेष के व्यक्ति नहीं मिले, तो रिक्तियों को रद्द कर दिया जाएगा। मेडिकल डिग्री और अच्छे रैंक के विद्वानों ने पदों के लिए आवेदन किया था लेकिन पद के लिए पात्रता और अनुभव नहीं होने के बावजूद कोटा के उम्मीदवारों को नौकरी मिल गई।